मा0 कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2024 दिन मंगलवार को आयोजित 24वीं वित्त समिति की बैठक के विनिश्चिय (निर्णय) :–

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून की 24वीं वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

01	प्रो0 ओंकार सिंह , कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून	अध्यक्ष
02	डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
03	श्रीमती रजनी शुक्ला, अपर सचिव, प्रतिनिधि सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
04	श्री विजय कुमार, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
05	श्री अरविंद सिंह पांगती, संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
06	श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड।	सदस्य
07	श्रीमती किरण भट्ट टोडरिया, पूर्व फिक्की अध्यक्ष, उत्तराखण्ड	सदस्य
08	प्रो0 सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य
09	डॉ0 वी0 के0 पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	आमंत्रित सदस्य
10	श्री बिक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,देहरादून	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ हुई तथा एजेण्डावार चर्चा के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

एजेण्डा	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	24वीं वित्त समिति का निर्णय
बिन्दु संख्या 01	23वीं वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना	–	वित्त समिति द्वारा 23वीं वित्त समिति के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी तथा कृत कार्यवाही पर संतोष प्रकट किया गया । साथ ही सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विश्वविद्यालय निधि से निर्माणाधीन एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यो की समय–समय पर गुणवत्ता जाँच कराये जाने की अपेक्षा की गई व स्वीकृत आगंणन के अनुसार ही निर्माण सामग्री (ईंट/ सीमेंट/ सरिया/टाईल्स/इलैक्ट्रीकल उपकरण/सेनटरी आईटम आदि) प्राईमरी गुणवत्तावाली सामग्री ही प्रयोग किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही किये जाने पर बल दिया गया ।

बिन्दु संख्या (24.02)	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून का चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु **अनुपूरक आय–व्ययक अनुमान** वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :– **अनुपूरक व्यय :– ₹ 40.64 लाख** **08– आथित्य व्यय एवं सत्कार** **₹ 3,02,000** **18– शोध छात्रों पर व्यय** **₹ 11,65,915** **20– एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम** **₹ 5,77,000** **21– बी0टैक पाठ्यक्रम** **₹ 20,19,000** **कुल धनराशि ₹ 40,63,915**	विश्वविद्यालय की 23वीं वित्त समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमानित रू0 45.97 करोड़ की धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस क्रम में व्यय मदों की **08– आथित्य व्यय एवं सत्कार** इस मद के शैक्षिक विकास सम्बन्धी बैठकों पर माह सितम्बर, 2024 तक **रू0 47299 अधिक** व्यय होने के कारण इस मद में **रू0 302000** की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। **18– शोध छात्रों पर व्यय** इस मद में माह सितम्बर, 2024 तक **रू0 605915 अधिक** व्यय होने के कारण इस मद में **रू0 1165915** की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। **20– एम0बी0ए0पाठ्यक्रम** में शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु माह सितम्बर, 2024 तक **रू0 83809 अधिक** व्यय होने के कारण इस मद में **रू0 577000** की अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। 21– बी0टैक पाठ्यक्रम :– इस नये पाठ्यक्रम में पूर्व से कोई व्यय अनुमोदित नहीं था। अतः उक्त पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों के मानदेय आदि भुगतान पर **रू0 2019000** धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुपूरक मदों में प्रस्तावनुसार रू0 40.64 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया :–** **अनुपूरक व्यय :– ₹ 40.64 लाख** **08– आथित्य व्यय एवं सत्कार** **₹ 3,02,000** **18– शोध छात्रों पर व्यय** **₹ 11,65,915** **20– एम0बी0ए0 पाठ्यक्रम** **₹ 5,77,000** **21– बी0टैक पाठ्यक्रम** **₹ 20,19,000**
बिन्दु संख्या (24.03)	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून के निम्न 06 कैम्पस संस्थानों का चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु **अनुपूरक आय–व्ययक अनुमान** वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत :–		वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रस्तुत अनुपूरक आय–व्ययक अनुमानों पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

	(धनराशि करोड़ में) संस्थान / अनुमानित आय 2024–25 / 23वीं वित्त समिति द्वारा अनुमोदित व्यय / वर्तमान में प्रस्तावित अनुपूरक व्यय / वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल अनुमानित व्यय THDC-IHET, TEHRI: 6.25 / 5.52 / 1.44 / 6.96 IT-GOPESHWAR: 3.19 / 2.46 / 0.73 / 3.19 IT-UTTARAKASHI: 0.50 / 2.46 / – / 2.46 WIT-DEHRADUN: 3.57 / 3.18 / 1.15 / 4.33 NPSIT-PITHORAGARH: 3.02 / 2.85 / 0.91 / 3.76 APJIT-TANKPUR: 4.20 / 2.83 / 0.46 / 3.29				सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सभी कैम्पस संस्थानों के पास उपलब्ध एफ0डी0/अन्य समस्त बचतों का संस्थानवार विवरण तैयार कराते हुये शासन को विवरण उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई।
बिन्दु संख्या (24.04)	विश्वविद्यालय एवं परिसर संस्थानों में चालू शैक्षिक सत्र 2024–25 से संचालित बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क ₹ 35000 वार्षिक एवं अन्य शुल्क सहित वित्त समिति से स्वीकृति की प्रत्याशा में आकस्मिकता के दृष्टिगत विद्या परिषद से अनुमोदनापरान्त लागू किये गये शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	बी0सी0ए0 नवीन पाठ्यक्रम हेतु दिनांक 30.12.2023 को आयोजित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 18वीं बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 18.13(1) पर अनुमोदित शिक्षण शुल्क ₹ 35000 वार्षिक एवं अन्य शुल्क पर वित्त समिति से अनुमोदन अपेक्षित है। इस क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक 1723/बी0सी0ए0/शुल्क निर्धारण / 2024–25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा जारी वर्षवार शिक्षण एव अन्य शुल्क स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	**वित्त समिति द्वारा बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय के कार्यालय पत्रांक 1723/बी0सी0ए0/शुल्क निर्धारण / 2024–25 दिनांक 22.08.2024 द्वारा लागू किये गये शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
बिन्दु संख्या (24.05)	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून परिसर में अग्निशमन सुरक्षा यंत्रों की स्थापना हेतु अनुमानित ₹100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की	विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रपत्रों/फाईलों आदि की आग से सुरक्षा हेतु अग्निशमन यत्रों की स्थापना की जानी नितांत ही आवश्यक है ताकि जनहानि से बचा जा सके। इस प्रयोजन हेतु ₹ 100.00 लाख के अनुमानित व्यय के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति	**वित्त समिति द्वारा वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून परिसर में अग्निशमन सुरक्षा यंत्रों की स्थापना हेतु अनुमानित ₹100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु शासनादेश सं0 1181/2024/XLI-A-02/2024(ई–67607)**

	धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	दिनांक 07.10.2024 के अनुसार विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से अर्जित धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (24.06)	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 19वीं वित्त समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत वाहन चालकों की भांति निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर परिसर संस्थानों (महिला प्रौद्योगिकी संस्थान एवं नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ एवं टी0एच0डी0सी0 संस्थान) हेतु सेवायोजित वाहन चालकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के अतिरिक्त मानदेय स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	01. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान,देहरादून के पास एक संस्थान वाहन उपलब्ध है व वाहन चालक उपनल के माध्यम से कार्यरत्त है। 02. एस0आई0टी0 पिथौरागढ़ में संस्थान वाहन उपलब्ध है व वाहन चालक उपनल से कार्यरत्त है। 03. टी0एच0डी0सी0 संस्थान में कुल 04 संस्थान वाहन उपलब्ध है। इसमें से 03 वाहन चालक उपनल से कार्यरत्त है।	वित्त समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान नहीं की गयी तथा यह अपेक्षा की गई कि यह जांच की जाये कि उपनल के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन अथवा किसी स्वायत्तशासी संस्थान में कार्यरत्त वाहन चालकों को भी एक माह का अतिरिक्त मानदेय भुगतान किया जा रहा है अथवा नहीं।
बिन्दु संख्या (24.07)	विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित **फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी,** एवं **फैकल्टी ऑफ फार्मेसी** में कार्यो के सुचारू सम्पादन हेतु स्वः वित्तपोषित आधार पर बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से निम्न कार्मिकों की सेवायें लिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी** लेखा सहायक 01 कनिष्ठ सहायक (परीक्षा) 01 कनिष्ठ सहायक (कार्यालय) 01 लैब सहायक (कम्प्यूटर लैब हेतु) 03 अनुसेवक 04 **अनुमानित कुल व्यय रू0 16,12,768/– प्रति वर्ष** ₹14139 प्रति 06 सहायक रू0 **10,18,000/–** ₹12391 प्रति 04 अनुसेवक रू0 **5,94,768/–** **फैकल्टी ऑफ फार्मेसी (Faculty of Pharmacy)**	विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, अन्तर्गत बी0टैक0 पाठयक्रम की दो ब्रान्चों की प्रवेश क्षमता 180 एवं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी अन्तर्गत बी0फार्मा0 की 60 सीटों पर प्रवेश लिये जा रहे है। वर्तमान में उक्त पाठयक्रमों में पूर्व वर्षो के छात्रों सहित लगभग 800 छात्र/छात्रायें पंजीकृत हैं। बढ़ते कार्यभार के कारण नये कार्मिकों की सेवायें लिये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा पूछा गया कि क्या इस हेतु विश्वविद्यालय के ढांचे में पद सृजित हैं अथवा नही? इस पर वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि यह कार्यक्रम स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित है, जिस कारण पद सृजन के स्थान पर बाह्य श्रोत से कार्मिकों की सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है। सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन तथा अन्य सदस्यों द्वारा अपेक्षा की गई कि पद सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये। उक्तानुसार पद सृजन होने तक आवश्यक कार्यो के

	01. Lab Technician -01 02. Lab Attendant – 01 **अनुमानित व्यय रू0 3,18,360/–** **प्रति वर्ष** ₹14139 प्रति 01 सहायक रू0 **1,69,668/–** ₹12391 प्रति 01 अनुसेवक रू0 **1,48,692/–** (उत्तराखण्ड शासन श्रम विभाग शासनादेश संख्या 288(1) / VIII-1/24-228 (श्रम)/2001-पार्ट–II दिनांक 15.03.2019)		संचालन हेतु पूर्व व्यवस्था जारी रखी जाए।
बिन्दु संख्या (24.08)	विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित **फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी,** के सचांलन हेतु नवनिर्मित एकेडमिक भवन में स्टॉफ/छात्रों हेतु फर्नीचर एवं स्मार्ट कक्षा हेतु **₹ 64.79 लाख** की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	माह जनवरी 2025 में निर्माणाधीन एकेडमिक भवन के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, अन्तर्गत संचालित बी0टैक एवं एम0टैक पाठ्यक्रम में पंजीकृत छात्रों की अनुमानित संख्या 740 हो जायेगी। उक्त पाठ्यक्रमों हेतु कक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत स्टॉफ फर्नीचर /छात्रों हेतु फर्नीचर/स्मार्ट कक्षा निर्माण हेतु रू0 64.79 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से फैकल्टी ऑफ टैक्नोलॉजी, के सचांलन हेतु नवनिर्मित एकेडमिक भवन में स्टॉफ/छात्रों हेतु फर्नीचर एवं स्मार्ट कक्षा **(Artificial Intelligence /Networking/Data Base Management System)** के साथ स्थापित किये जाने हेतु **₹ 64.79** लाख की धनराशि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली –2017/Gem एवं वित्तीय नियमों के अन्तंगर्त विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (24.09)	विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान,गोपेश्वर में पूर्व से कार्यरत 10 संविदा शिक्षकों के वेतन में 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वेतन वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोनार्थ प्रस्तुत।	संस्थान निदेशक गोपेश्वर से प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 14वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार परिसर संस्थानों में Short Term Engagement के आधार पर पूर्णत अस्थाई व स्ववित्तपोषित व्यवस्था के तहत 11 माह की अवधि पर नियुक्त किये गये शिक्षकों की भांति यू0जी0सी0 नई दिल्ली की व्यवस्था के अनुसार पूर्णतः अस्थाई व स्ववित्तपोषित आधार पर ₹ 57,700/– नियत वेतन	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया कि संविदा की मूल शर्तो के अतिरिक्त कोई भी अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अतः संविदा में व्यवस्था न होने के कारण वेतन वृद्धि दिये जाने का औचित्य नहीं है। कार्यपरिषद की 14वीं बैठक में परिसर संस्थानों में **Short Term Engagement** के आधार पर पूर्णत अस्थाई व स्ववित्तपोषित व्यवस्था के तहत 11 माह की अवधि पर नियुक्त किये गये शिक्षकों की भांति यू0जी0सी0 नई दिल्ली की व्यवस्था के

		दिये जाने पर मा0 कार्यपरिषद द्वारा कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया हैं। अतः उक्त निर्णयानुसार ही कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	अनुसार ₹ 57,700/– प्रतिमाह नियत वेतन दिये जाने तथा इस प्रकार की अल्पकालिक नियुक्तियों हेतु पूर्व से निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया हैं। साथ ही इस सम्बन्ध में शासन से की गयी पृच्छा का उत्तर तत्काल प्रेषित किया जाये।
बिन्दु संख्या (24.10)	विश्वविद्यालय में बनाये जा रहे औषधालय कक्ष व नवनिर्मित बैंक भवन के बीच में बने स्टोर /गोदाम को नवीनीकृत कर कक्ष निर्माण कराये जाने हेतु अनुमानित **₹ 4.50 लाख** (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	निर्मित भवन में आवश्यक सुधार कर विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रयोजन हेतु भवन का प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्य हेतु भवन में सुधार कार्य कराये जाने हेतु गठित अनुमानित मदवार व्यय के अनुसार रू0 4. 50 लाख की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017/Gem एवं वित्तीय नियमों के अधीन विश्वविद्यालय निधि से ₹4.50 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (24.11)	नवनिर्मित बैंक परिसर के प्रथम तल पर Student Activity Centre की स्थापना किये जाने हेतु अनुमानित रू0 10.00 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की गतिविधियों हेतु एक हॉल का निर्माण तथा उसमें टैबल टैनिस/कैरम बोर्ड/चैस बोर्ड आदि की स्थापना किये जाने हेतु धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।	प वित्त समिति द्वारा **Student Activity Centre** की स्थापना किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017/Gem एवं वित्तीय नियमों के अधीन विश्वविद्यालय निधि से ₹ 10.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (24.12)	औषधालय के प्रथम तल पर रीडिंग रूम स्थापित किये जाने हेतु रू0 05. 00 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुविधा हेतु एक पृथक रीडिंग रूम की स्थापना हेतु धनराशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से वित्त समिति द्वारा औषधालय के प्रथम तल पर रीडिंग रूम स्थापित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली –2017 एवं वित्तीय नियमों के अर्न्तगत विश्वविद्यालय निधि से ₹ 05.00 लाख की धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (24.13)	विश्वविद्यालय से उर्त्तीण छात्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्य हेतु पूर्व से निर्धारित शुल्क ₹ 500/– के क्रम में यू0जी0सी0 एवं विभिन्न प्रदेशों के मा0 उच्च न्यायालय	14वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.11.2016 में लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान में शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के कार्य हेतु रू0 500 का शुल्क निर्धारित	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत बॉर काउंसिल ऑफ इण्डिया / राज्य बार काउंसिल एवं समस्त शासकीय विभागों से प्राप्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य निःशुल्क

	एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में बार काउंसलिंग ऑफ इण्डिया एवं सभी सरकारी विभागों से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क ₹ 500/– निशुल्क कराये जाने का प्रस्ताव तथा अन्य सभी गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क पूर्व की भांति लागू रहने का प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	है। किन्तु इस क्रम में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल द्वारा यह शुल्क जमा नही कराया जा रहा है व उनके द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या 622/2023 का हवाला दिया जा रहा है। अतः प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं सभी निजी उपक्रमों आदि से प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूर्व की भांति रू0 500/– (रू0 पांच सौ मात्र) शुल्क के साथ कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु संख्या (24.14)	विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ के मढधूरा स्थायी परिसर में सुरक्षात्मक कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़ द्वारा गठित **₹ 250.17 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख सत्तर हजार मात्र)** की धनराशि विश्वविद्यालय निधि से व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ के मढधूरा स्थायी परिसर में निर्मित भवनों के सुरक्षात्मक कार्य कराया जाना है। बरसात के कारणवश निर्मित भवन को अत्यधिक नुकसान हो रहा है, अतः यह कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पिथौरागढ़ द्वारा गठित रू0 250.17 लाख (रू0 दो करोड़ पचास लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा पिथौरागढ़ संस्थान हेतु मढधूरा स्थान पर निर्मित भवन का निर्माण साईड डवलपमैंट एवं रिटेनिंग वॉल के बिना ही करा दिया गया है। विगत वर्षो से बरसात के कारण पहाड़ों की मिट्टी निर्मित भवन की दीवारों को भारी क्षति पहुँचा रही है। इसलिये यह कार्य कराया जाना आवश्यक है। सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 250.17 लाख के प्रस्ताव पर आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन से बजट की व्यवस्था कराये जाने हेतु प्रस्ताव तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
बिन्दु संख्या (24.15)	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के व्ययों का भुगतान सम्बन्धित संस्थानों को पूर्व की भांति **दिसम्बर–जनवरी, 2023 ऑड सेमेस्टर** से किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय का वित्तीय भार कम करने हेतु राज्य के अन्य विश्वविद्यालय की भांति परीक्षा सम्बन्धी व्यय 2020–21 से संस्थानों को नहीं दिया जायेगा। तत्क्रम में उक्त आदेश को निरस्त करते हुये पूर्व की भांति दिसम्बर–जनवरी 2023–24 ऑड सेमेस्टर से परीक्षा संचालन सम्बन्धी व्यय	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या 623/यू0टी0यू0/2021 दिनांक 06.07.2021 को निरस्त करते हुये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के व्ययों का भुगतान सम्बन्धित संस्थानों को माह दिसम्बर–जनवरी, 2023 ऑड सेमेस्टर से किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

		भुगतान किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।	
बिन्दु संख्या (24.16)	विश्वविद्यालय समग्र निधि (कॉरपस फण्ड) नियमावली लागू किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित है। अतः विश्वविद्यालय के दीर्घकालीन हितों तथा विकास हेतु एक समग्र निधि की आवश्यकता है। यह एक स्थाई फण्ड होगा जिससे धनराशि के व्यय हेतु कुछ नियम प्रस्तावित किये जा रहे हैं। धनराशि का उपयोग मुख्यतः अकादमिक तथा शोध कार्य को सदृढ़ करने , कैपासीटी बिल्डिंग तथा आधारभूत ढ़ाँचें के विकास हेतु किया जायेगा।	**प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों के साथ ही अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों की समग्र निधि (कॉरपस फण्ड) नियमावली (यदि उपलब्ध हो) का अध्ययन करते हुए आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

अंत में वित्त समिति के समस्त सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ 24वीं वित्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(बिक्रम सिंह जंतवाल)
सदस्य सचिव

(किरण भट्ट टोडरिया)
सदस्य

(पंकज गुप्ता)
सदस्य

(अरविंद सिंह पांगती)
सदस्य

(विजय कुमार)
सदस्य

(रजनी शुक्ला)
सदस्य

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सदस्य

(प्रो0 ओंकार सिंह)
अध्यक्ष